

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

विषय:- दिनांक 24 मई, 2019 से दिनांक 26 मई, 2019 तक राजभवन गोल्फ क्लब जनपद-नैनीताल में आयोजित 17वां गर्वनर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट प्रतियोगिता-2019 के आयोजन हेतु अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

देहरादून : दिनांक : 17 जून, 2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10/प्रदे0की0सं0अनु0पत्रा0/2018-19, दिनांक 10 अप्रैल, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुदान संख्या-11-लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवार्य-00-104-खेलकूद के अन्तर्गत-12-प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर कय हेतु अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के आय-व्ययक के माध्यम से आवंटित धनराशि के सापेक्ष तालिका में क्रमांक-1 पर अंकित राजभवन गोल्फ क्लब, नैनीताल को ₹ 3.00 लाख (₹ तीन लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं	संघ/संस्था/क्लब आदि का नाम	प्रयोजन	धनराशि
1	राजभवन गोल्फ क्लब, नैनीताल	दिनांक 24 मई, 2019 से दिनांक 26 मई, 2019 तक राजभवन गोल्फ क्लब जनपद-नैनीताल में आयोजित 17वां गर्वनर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट प्रतियोगिता-2019 के आयोजन हेतु।	₹ 3.00 लाख
योग			₹ 3.00 लाख

(₹ तीन लाख मात्र)

2- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध में साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैन्युअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मदवार व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों एवं अन्य संगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा वास्तविक व्यय के आधार पर ही आहरण/व्यय किया जाय।

3- उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। योजना संबंधी शासनादेश संख्या-408/VI-I/2009, दिनांक 30 नवम्बर, 2009 एवं इस विषय पर समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा समिति के सम्मुख प्रस्ताव रखते समय प्राथमिकताओं को भी इंगित करते हुए अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

4- धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

5- उक्त अनुदान के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड-5) भाग-1 के अध्याय-16-क-अनुच्छेद-369 के सुसंगत प्राविधानों उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अनुदान सम्बन्धी विद्यमान अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवार्य-00-104-खेलकूद के अन्तर्गत-12-प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के आय-व्ययक के माध्यम से के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:- अलाटमेंट आई0डी0 संख्या-S1906010002, दिनांक 17 जून, 2019

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-198/VI/2019-33(28)2012, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. जिला क्रीड़ा अधिकारी, नैनीताल।
6. वित्त नियंत्रक, खेल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)
Secretary-Secretary, Sports(S047)
HOD-Director Sports(2441)

आवंटन पत्र संख्या -198/VI/2019-33(28)2012
अनुदान संख्या-011

आवंटन आई डी-S19060110012
आवंटन पत्र दिनांक-17-JUN-2019

लेखा शीर्षक

2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ
104-खेल-कूद

00--

12-प्रादेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं
अन्य क्रीड़ा संघों आदि को
प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं
खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक
अनुदान

00-प्रादेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं
अन्य क्रीड़ा संघों आदि को
प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं
खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक
अनुदान

Voted

2	2	0	4	0	0	1	0	4	1	2	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता				0	300000	0	300000					
योग				0	300000	0	300000					

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,00,000 (Rupees Three Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER